

हस्ताक्षर

बनाम

समन्ताल

प्राथमिक पत्र 212 आर टी एफ

नम्बर 123 सन-2021

पृष्ठ

हनुमानगढ़ या कार्यवाही नम इतिविषय ज्ञात

न्यायालय में प्रेषित
पत्रावली को इस
दस्तावेज में दर्ज किया
गया है

5021

प्राथी/सायल की ओर से जरिये अभिवापक प्राथमिक पत्र पेश होने पर एक तरफ बहस प्राथमिक पत्र सायल अभिवापक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण/गैरसायलान इस आशय की जारी की जाती है कि सोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 135/137 की कुल 3.9960 हैक्ठर भूमि गैरसायल नं 1 के नाम दर्ज है मे 'से प्राथी के हिस्से की भूमि की रिकार्ड की यथारिथिति आगामी तारीख पेश तक बनाई रखी जावे यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय में असातन या बकातन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। खाला व रास्ता की भूमि पर स्थगन आदेश लागू नहीं होगा प्राथमिक पत्र दर्ज रजिस्टर कि या जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 24.03.2021 को पेश हो।

सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

26.3.21 - पत्रावली सायल 2021 में अस्थाई निषेधाज्ञा उपस्थित
21 - नोहर जिला न्यायालय नोहर जिला न्यायालय
- पत्रावली दि 11/6/21 को पेश हो

16.21

पत्रावली पेश हुई श्रीमान पी.ओ. साहब

16.8.21

16/8/21

उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली दि 22/11/21 को पेश हो

पत्रावली प्रशासन गांवों के रांग अभिवापक
वर्ष 2021 के 12/12/21 को पेश हो

$$04 \overline{) 12}$$

15/3/22

7/6/22

2 of 6/22

$$29\frac{6}{22}$$

Scanned with CamScanner